123

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2017 जिला–मंदसौर

PBR/ निगरानी/ मंदसौर/ भू.रा/2017/6278

ओमप्रकाश पुत्र श्री भैरूलाल जी तेली
निवासी– सीतामऊ जिला – मंदसौर (म.प्र.)

––आवेदक

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन द्वारा – कलेक्टर
जिला–मंदसौर (म.प्र.)

–– अनावेदक

द्वारा आज दि. 22/12/18 ... प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 10/1/18 नियत। राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी सीतामऊ द्वारा प्रकरण क्रमांक 40/2016–17 अपील में पारित आदेश दिनांक 25.10.2017 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

क्रमांक **PBR**/निगरानी / मदसौर / भू.रा. / 2017 / 6278

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16–1–2018	उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी, सीतामऊ के आदेश दिनांक 25–10–2017 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा शिकायतकर्ता लक्ष्मण सिंह द्वारा प्रस्तुत व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 1 नियम 10 का आवेदन पत्र प्रस्तुत स्वीकार कर उसे पक्षकार बनाया गया है, जिसमें कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । अतः यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	